राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोनू बनाम धापू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 519/2020 एवं 520/2020 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित को ही उनकी बहस माना जाकर दोनों अपीलो का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
04/03/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैम्प बरखेडा में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/06/2017 पारित करते हुये तहसीलदार चाकसू को विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 92/553, 125, 128, 130, 131, 365 किता 6 रकबा 2.66 हैक्टेयर वाके ग्राम गोपीरामपुरा, तहसील चाकसू का तकासमा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए तहसीलदार चाकसू को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दोनों पक्षों की मौजूदगी में तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2019 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/06/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 520/2020 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2019 के विरुद्ध अपील संख्या 519/2022 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है। अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोनू बनाम धापू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
519/2020 520/2020		

किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधिस्न्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विभाजन के वाद में प्रश्नाधीन प्राथमिक डिक्री पारित होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी स्वीकार कर घोषणा का अनुतोष समायोजित कर प्रश्नाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री सरसरी योर पर ही पारित करते हुये अपीलार्थीयांगण के नाम दर्ज भूमि से उनका नाम विलोपित कर उनके पिता स्व. ओमप्रकाश द्वारा 1/3 हिस्से की छोड़ी गयी भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया, जबकि स्व. ओमप्रकाश की दिनांक 30/12/2014 को मृत्यु होने पर विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओ का अनुसरण करते हुये तहसीलदार जयपुर द्वारा वारिसान की जाँच विस्तृत रूप से कर आल्ड हिन्दू लॉ के कॉज 4 का अनुसरण करते हुये नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 29/04/2015 अपीलार्थी के नाम दर्ज किया गया, जिसके विरुद्ध वादिया/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील संख्या 27/2015 अदम पैरवी अदम हाजरी में ख़ारिज हो गयी, जिसको रेस्टोर करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही की गयी हो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से जाहिर नही होती है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की करवाई गयी तामील भी विधिसम्मत प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को सुने बगैर ही सरसरी तौर पर प्रकरण के तथ्यों को विवेचित किये बगैर एवं विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओ की अनुपालना किये बगैर ही पारित किये गये अपीलाधीन दोनों निर्णय न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होते है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्रीये निरस्त कर अपीलार्थीगण को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय/डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है | ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य उचित प्रतीत होने से दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोनू बनाम धापू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
519/2020 520/2020		

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 13/06/2017 व 07/10/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण को भी सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत परिक्षण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद का निस्तारण करे | तदनुसार दोनों अपीले क्रमश 519/2020 एवं 520/2020 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर